

कार्यालय – अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक—वा०क०अधि०/यु०पी० संशोधन) / 17, दिनांक : दिसम्बर 06, 2017,

—:: आदेश ::—

श्री वी० के० दुबे, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, कानपुर के प्रार्थना-पत्र सं० 215/17 दिनांक 06-12-2017 एवं 691/17 दिनांक 30-11-2017 बावत आकस्मिक अवकाश, पर सम्यक विचारोपरान्त वादकारियों के हित को देखते हुए आदेश सं० 1813/17 दिनांक 24 नवम्बर 2017 द्वारा माह-दिसम्बर, 2017 के लिए गठित युगल पीठ लखनऊ का कार्यक्रम दिनांक 04-12-2017 से 08-12-2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए दिनांक 07-12-2017 एवं 08-12-2017 की युगलपीठ में श्री वी० के० दुबे, न्यायिक सदस्य के स्थान पर श्रीमती रेणु अग्रवाल, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह० 06/12/2017

(नरेन्द्र कुमार जौहरी)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/यु०पी० संशो०/४५५ / 2017, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, कानपुर।
- 2— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 से 3, लखनऊ।
- 3— राज्य प्रतिनिधि (युगलपीठ)– पीठ-1 से 3, लखनऊ
- 4— अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसियेशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर से अवगत करायें।
- 5— वरिष्ठ सहायक (विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।
- 6— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र० निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।